Q. एकल निगम की अवधारणा के संबंध में किसने कहा है कि ''जीवित व्यक्ति आता है, जाता है किंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक ही रहती है''?

A. **सामंड** ने।

Q. विधिक व्यक्तित्व के संबंध में सत्य कथन (पूछे गए प्रश्नानुसार) क्या हैं?

A. 1. व्यक्तित्व न्यायपूर्ण इच्छा की आत्मनिष्ठ संभावना है।

2. विधिक व्यक्ति, विधिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के धारक होते हैं।

3. व्यक्ति सार है जिसके अधिकार व कर्तव्य लक्षण हैं। (सामंड)।

Q. कैम्पबेल बनाम पैडिंगटन कॉर्पोरेशन नामक वाद विधिशास्त्र की किस अवधारणा पर निर्णीत वाद है?

A. **विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा** पर।

Q. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करते हुए सही उत्तर दीजिए?

सूची-I	**सूची-II**
A. कोष्ठक सिद्धांत	1. पूर्व निर्णय का सिद्धांत
B. इच्छा सिद्धांत	2. कब्जा
C. पदार्थ का कब्जा और धारणाशय	3. विधिक व्यक्ति
D. इतरोक्ति	4. विधिक अधिकार।

A. A-3, B-4, C-2, D-1।

Q. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करते हुए सही उत्तर दीजिए?

सूची-I	**सूची-II**
A. इच्छा सिद्धांत	1. कब्जा
B. यथार्थ सिद्धांत	2. पूर्व निर्णय
C. घोषणात्मक सिद्धांत	3. विधिक व्यक्ति
D. धारणाशय	4. विधिक अधिकार।

A. A-4, B-3, C-2, D-1।

Q. **कथन (A) :** बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है।

कारण (R) : विश्वविद्यालय एक विधिक व्यक्ति है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर संकेतिक कीजिए–

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

A. (a)।

Q. **कथन (A) :** लोक निगम संपत्ति को अर्जित कर सकता है और उसे रख सकता है।

कारण (R) : लोक निगम का सृजन एक परिनियम के द्वारा होता है और वह परिनियम उसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है।

कूट :

(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, परंतु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।

(d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

A. (a)।

Q. निगमित व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सूची-I में विभिन्न सिद्धांतों के नाम प्रदर्शित हैं तथा सूची-II में कुछ नाम दिए गए हैं, जो इन सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उन्हें सुमेलित कीजिए?

सूची-I	**सूची-II**
A. प्रयोजन सिद्धांत	1. गीयर्क
B. कोष्ठक सिद्धांत	2. ब्रिन्झ
C. कल्पितार्थ सिद्धांत	3. सामंड
D. यथार्थवादी सिद्धांत	4. इहरिंग

A. A-2, B-4, C-3, D-1।

कब्जा (Possession)

कब्जा विधिक सिद्धांत की ऐसी प्राचीनतम संकल्पना है, जिस पर हमेशा ही विधिशास्त्रियों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। सामान्यतः जब किसी वस्तु या संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने साधिकार अपना प्रभुत्व कायम रखा है, चाहे प्रत्यक्षतः उस पर कब्जा रखते हुए अथवा स्वामी मात्र के रूप में, तब यह माना जाता है कि उस वस्तु पर उसका कब्जा है अथवा यह कि वह उस वस्तु या संपत्ति का स्वामी है। अतः कब्जा और स्वामित्व दोनों साथ-साथ चलने वाली संकल्पनाएं हैं। हालांकि यह हो सकता है कि किसी वस्तु/संपत्ति पर उसके मालिक का तात्कालिक कब्जा न हो और उस पर उसके अभिकर्ता अथवा नौकर अथवा न्यासी का कब्जा हो किंतु तब भी ऐसे व्यक्ति उस पर कब्जा रखने मात्र से मालिक नहीं हो सकते हैं। उसका स्वामी उस संपत्ति का वास्तविक मालिक ही रहेगा। इसी भाव में कब्जा की संकल्पना विकसित हुई है।

सामान्य भाव में कब्जा का तात्पर्य किसी वस्तु या संपत्ति को धारण करने की शक्ति/अधिकार से है। विधिक भाव में कब्जा का तात्पर्य संपत्ति (चल अथवा अचल) पर भौतिक नियंत्रण से है, चाहे वास्तविक रूप में अथवा विधि की दृष्टि में (Possession is a physical control over property, whether actual or in the eyes of law.)।

कब्जा को स्वामित्व का एक साक्ष्य भी माना जाता है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** की **धारा 101** एवं **102** के दृष्टांत कब्जे के हक में स्पष्टीकरण देते हैं। **धारा 102 का स्पष्टीकरण** 'क' यह साक्ष्य नियम वर्णित करता है कि यदि 'ख' पर उस भूमि के लिए 'क' वाद लाता है, जो 'ख' के कब्जे में है और जिसके बारे में 'क' प्राख्यात करता है कि वह 'ख' के पिता 'ग' की वसीयत द्वारा 'क' के लिए दी गई थी। यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो 'ख' इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे और सबूत का भार 'क' पर होगा।'

स्पष्ट है कि किसी वस्तु का कब्जा (यदि वह सदोष भी हो) वास्तविक स्वामी के सिवाय संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक समुचित हक होता है। इसीलिए कब्जा को विधि का नौ अंश कहा गया है। इतना ही नहीं दीर्घकाल तक कब्जा चिरभोग द्वारा अथवा प्रतिकूल कब्जा के सिद्धांत के द्वारा स्वामित्व का सृजन भी कर देता है।

तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा (Possession in fact and Possession in law)

कब्जे की संकल्पना जैसे-जैसे विकसित हुई, उसकी प्रकृति के अनुसार विधिशास्त्रियों ने उसकी व्याख्या को भी प्रस्तुत किया। प्रारंभिक अवस्था में कब्जे को संपत्ति पर केवल 'भौतिक नियंत्रण' के रूप में ही माना गया किंतु जैसे-जैसे कब्जे की प्रकृति और इसकी अवधारणा में विकास हुआ, विधि द्वारा ऐसे कब्जे को भी मान्यता प्रदान की गई, जब स्वामी का वस्तु/संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण नहीं था, जैसे- अभिरक्षा और निरोध। इस प्रकार तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा की अवधारणा विकसित हुई। रोमन विधि में इसे क्रमशः प्राकृतिक कब्जा (पोजेशियो नेचुरेलिस) और सिविल कब्जा (पोजेशियो सिविलस) कहा जाता था। वस्तुतः रोमन विधि का मुख्य उद्देश्य स्वामित्व की संरक्षा करना था और इसी प्रयोजन से कब्जे की संकल्पना विकसित हुई।

रोमन विधि में दास, कुटुम्ब के अधीनस्थ व्यक्ति, उपनिहिती या अभिकर्ता द्वारा किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण केवल एक निरोध माना जाता था और शेष अन्य प्रकार के नियंत्रण को व्यापक अर्थ में भौतिक नियंत्रण माना जाता था। प्रथम को प्राकृतिक कब्जा तथा दूसरे सिविल कब्जा माना जाता था। इस प्रकार कब्जाधारी को दो निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त थीं–

(i) उन्हें कब्जा पाने के लिए प्रत्यादेश (मजिस्ट्रेट द्वारा) के द्वारा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार था।

(ii) विहित अवधि के व्यतीत हो जाने पर कब्जाधारी को स्वामित्व प्राप्त हो जाता था।

विधि द्वारा कब्जे की संरक्षा

कब्जे की संरक्षा का मुख्य सिद्धांत इस रूप में विकसित हुआ कि 'कब्जा संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक प्रबल हक है, सिवाय उस व्यक्ति के जिसका हक एक श्रेष्ठ हक है। अतः कब्जे की उस समय तक संरक्षा की जानी चाहिए जब तक कि कोई व्यक्ति अपना श्रेष्ठ हक साबित न करे। अतः विधि कब्जे की संरक्षा

करती है भले ही वह कब्जा अवैध रूप से अर्जित किया गया हो। इसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी है कि यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो समाज में भूमि एवं कब्जा विवादों की भरमार हो जाएगी जिसके कारण समाज में एक नई अव्यवस्था तथा कानून और व्यवस्था के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा।

अतः कब्जा को विधिक संरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में अनेक विधिशास्त्रियों ने अपने भिन्न-भिन्न मत दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सिद्धांत निम्नवत हैं–

(1) **रूसो एवं काण्ट का सिद्धांत** - फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो का मत है कि 'कब्जे' में व्यक्ति की इच्छा होती है, इसलिए इसकी संरक्षा की जानी चाहिए। रूसो के अनुसार, प्रत्येक मानव स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। स्वतंत्रता में इच्छा की स्वतंत्रता भी सम्मिलित होती है। अतः इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। काण्ट ने भी रूसो की भांति अपना विचार व्यक्त किया कि इच्छा की स्वतंत्रता मनुष्य की सार-वस्तु है, जिसका पूर्णतः सम्मान किया जाना चाहिए और जिसको पूरा करना और पुष्ट करना ही सभी सरकारों का साध्य तथा उद्देश्य है।

हीगल एक अन्य विचारक हैं जिन्होंने कब्जे की इच्छा के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उनके अनुसार, 'कब्जे में व्यक्ति की इच्छा का व्यक्तिकरण होता है। इसलिए इसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की इस बात पर आलोचना की गई कि ये **तत्वमीमांसीय (Metaphysical)** विचारों पर आधारित है।

2. **सैविनी का सिद्धांत**- ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक विधिशास्त्रियों ने कब्जे की संरक्षा के पीछे भिन्न मत प्रकट किया। इस शाखा के एक समर्थक सैविनी के अनुसार, 'कब्जे की संरक्षा' इसलिए की जाती है क्योंकि बलाचरण (Violence) का प्रत्येक कार्य अविधिपूर्ण है। जबकि विन्डशीड का मानना है कि कब्जे की संरक्षा उन्हीं आधारों पर स्थित है, जिन पर कि क्षति के विरुद्ध संरक्षा स्थित है और राज्य में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे प्रत्येक के बराबर है, और यह कि कोई भी व्यक्ति अपने को दूसरे के ऊपर नहीं उठाएगा। फिलहाल इन मतों को पूर्ण सत्य नहीं माना गया और इनकी आलोचना भी की गई।

3. **इहरिंग एवं हॉलैंड के सिद्धांत**-प्रख्यात विधिशास्त्री एवं समाजशास्त्री इहरिंग ने यह मत व्यक्त किया कि कब्जा प्रतिरक्षारत स्वामित्व है। कोई व्यक्ति जो स्वामित्व (कब्जा) रखता है ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध हक साबित करने की आवश्यकता से मुक्त होता है जो कि किसी अविधिपूर्ण स्थिति में होता है। इहरिंग का मानना है कि अधिकांश मामलों में कब्जाधारी उचित स्वामी होते हैं.....अतः इसे कम-से-कम उस समय तक जब तक कि कोई श्रेष्ठ हक लेकर सामने नहीं आता है, उचित मानना विधि के दृष्टिकोण से सुविधाजनक है। अधिकांश विधिशास्त्रियों ने इस मत को समर्थन प्रदान किया है।

प्रख्यात विधिशास्त्री हॉलैंड ने इहरिंग के मत को और अधिक व्यवहारिक रूप प्रदान करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि 'कब्जे की संरक्षा' में मुख्य हेतु कदाचित् शांति की परिरक्षा का लक्ष्य है। सारतः निष्कर्षित किया जा सकता है कि कब्जे की संरक्षा के पीछे निम्नलिखित तर्क निहित हैं–

(i) 'कब्जे की संरक्षा' संपत्ति की विधि के एक भाग के रूप में की जाती है। अतः **संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882** के अंतर्गत अनेक उपबंध करते हुए कब्जे को संरक्षा प्रदान की गई है और इसी निमित्त **विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963** की धारा 6 के अंतर्गत कब्जा प्राप्ति के उपचार भी प्रदान किए गए हैं।

(ii) कब्जे की संरक्षा शांति की परिरक्षा के लिए की जाती है। यह सर्वविदित है कि कब्जाधारी (प्रायः अवैध कब्जाधारी) आसानी से कब्जा नहीं छोड़ेगा, जो अंततः विवाद का कारण बनते हुए शांति भंग की स्थिति पैदा कर सकता है। अतः विधि उपबंध करती है कि अवैध कब्जे को भी विधि की प्रक्रिया द्वारा ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है, अवैध ढंग से नहीं। भारत में इस निमित्त **दंड प्रक्रिया संहिता, 1898** में उपबंध किया गया था, जिसे वर्तमान **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973** की धारा 145 में भी बनाए रखा गया है।

(iii) कब्जे की संरक्षा अपकृत्य विधि के एक भाग के रूप में की जाती है। **रॉजर्स बनाम स्पेंस** (1844) 13 M & W 571)।

कब्जा की परिभाषा एवं संकल्पना

कुछ विधिशास्त्रियों ने कब्जे की उपर्युक्त धारणा के आधार पर उसे परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं–

(i) **सामंड -** 'कब्जा' मूर्त अथवा अमूर्त हो सकता है। मूर्त कब्जा इसके अनन्य उपयोग के एक दावे का सतत प्रयोग है। इस दावे में दो तत्व होते हैं–पहला पदार्थ का कब्जा अर्थात कॉर्पस और दूसरा आशय अर्थात 'एनीमस'। सामंड ने तथ्यत: कब्जा और विधित: कब्जा की जगह तथ्यत: कब्जा और सत्यत: कब्जा की संकल्पना को प्रस्तुत किया। इसके अलावा नौकर या अभिकर्ता द्वारा धारित कब्जे को सामंड ने मध्यवर्ती या अव्यहित या तात्कालिक कब्जे का नाम दिया।

सामंड के अनुसार, कब्जा गठित करने के लिए कब्जाधारी का कब्जे की वस्तु से और अन्य व्यक्तियों से संबंध होना आवश्यक है।

(ii) **होम्स**–''कब्जा पाने के लिए किसी मनुष्य का पदार्थ से और शेष संसार के साथ कतिपय भौतिक संबंध होना चाहिए और उसका कतिपय आशय होना चाहिए। आशय का तात्पर्य दूसरों को अपवर्जित करने का आशय है।''(**दि कॉमन लॉ**)।

(iii) **पोलाक**- ''आम भाषा में किसी मनुष्य का किसी वस्तु पर कब्जा या उस वस्तु का उसके कब्जे में होना कहा जाता है जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, या जिसके उपयोग से दूसरों को अपवर्जित करने की उसे प्रत्यक्ष शक्ति है।'' (पजेशन इन दि कॉमन लॉ)।

कब्जे की उपर्युक्त परिभाषाएं आंग्ल विधि पर आधारित हैं, जिसमें कब्जे के मुख्य तत्व के रूप में आशय पर बल दिया गया है किंतु पदार्थ के साथ किसी प्रकार का भौतिक संबंध भी आवश्यक है।

(iv) **इहरिंग**-''जब कभी कोई व्यक्ति किसी वस्तु के संबंध में स्वामी की भांति दिखाई देता है तब उसका इस पर कब्जा था जब तक कि व्यवहारिक सुविधा पर आधारित विधि के नियमों के द्वारा उसे कब्जा से इंकार न कर दिया जाए।'' इहरिंग ने एक तरह से रोमन विधि का समर्थन किया है जिसे एक संकीर्ण विचार माना गया है।

(v) **पैटन**-पैटन ने सामंड का समर्थन करते हुए पदार्थ के कब्जे (Corpus) के दो तत्व अनिवार्य माने हैं-

(i) कब्जाधारी का वस्तु के साथ संबंध।

(ii) कब्जाधारी का शेष वस्तु से संबंध।

किंतु पदार्थ का कब्जा अकेले ही कब्जे का गठन नहीं करता है अपितु इसके साथ आशय (Animus) का होना भी आवश्यक है। यहां आशय का तात्पर्य कब्जाधारी द्वारा दूसरों के हस्तक्षेप को अपवर्जित करने के मानसिक बोध से है।

''कब्जा विधि का नौ अंश''

कब्जे की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी विकसित हुआ है कि ''कब्जा विधि का नौ अंश है।'' इसका तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के कब्जाधारी का उस वस्तु पर वास्तविक स्वामी के सिवाय संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक श्रेष्ठ दावा होता है। इस सिद्धांत को **आर्मरो बनाम डेलमिरी** (1722) 1 Straw 505 के प्राचीन वाद में अपनाया गया।

आर्मरो के मामले में एक बालक को एक रत्न मिला और वह उसका मूल्य जानने के लिए उसे प्रतिवादी डेलमिरी की दुकान पर ले गया। प्रतिवादी ने रत्न को उस बालक को इस आधार पर लौटाने से मना कर दिया कि वह उसका वास्तविक मालिक नहीं था।

न्यायालय ने 'कब्जा विधि का नौं अंश है' नामक सिद्धांत का अनुसरण करते हुए उक्त बालक को रत्न का कब्जाधारी माना और उसे रत्न को वापस पाने का अधिकारी घोषित किया। न्यायालय ने निर्णीत किया कि बालक रत्न का पूर्ववर्ती कब्जाधारी था, अत: इस कारण, वास्तविक स्वामी के सिवाय संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उसका दावा श्रेष्ठ था और चूंकि दुकानदार प्रतिवादी का दावा एक वास्तविक स्वामी के रूप में नहीं था, इसलिए बालक का दावा उस पर अभिभावी होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने **पी.आर.एन. कोठारी बनाम जॉन ब्रिगेंजा** (1999) 4 SCC 403 के मामले में इस सिद्धांत को अक्षरश: लागू किया।

इस सिद्धांत को एक अन्य वाद **आर. बनाम एशवेल,** (1885) 16 Q. B.D. 190 के वाद में और अधिक स्पष्ट किया

गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि ''किसी व्यक्ति का उस वस्तु पर कब्जा नहीं होता है जिसके अस्तित्व से वह अनभिज्ञ है।''

वस्तुतः यह सूक्ति कब्जे के मूल तत्व 'आशय' (Animus) का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि कब्जा के गठन के लिए पदार्थ पर भौतिक नियंत्रण के साथ-साथ कब्जाधारी का आशय (अन्य को अपवर्जित करने) भी अनिवार्य होता है, जिसकी समीक्षात्मक व्याख्या विभिन्न विनिश्चयों एवं विधिशास्त्रियों के द्वारा की गई है।

कब्जा के तत्व (Elements of Possession)

कब्जा की विभिन्न संकल्पनाओं से कब्जे के निम्नलिखित तत्व निष्कर्षित किए जा सकते हैं–

1. कब्जाधारी;
2. कब्जा की विषय-वस्तु अर्थात् संपत्ति;
3. संपत्ति पर कब्जाधारी का कब्जा (भौतिक नियंत्रण); और
4. कब्जाधारी का अन्य को अपवर्जित करने का आशय।

वस्तु-स्थिति को सामंड ने इन शब्दों में व्यक्त किया है–

''मेरा किसी वस्तु पर कब्जा है, जब मामले के तथ्य ऐसे हैं, जो एक युक्तियुक्त प्रत्याशा उत्पन्न करते हैं, कि मेरे द्वारा इसके उपयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।.....कोई वस्तु उस समय कब्जे में होती है जब वह अन्य व्यक्तियों के संबंध में ऐसी स्थिति में है कि कब्जाधारी एक युक्त विश्वास रखते हुए, कि इसके प्रति उसके दावे का सम्मान किया जाएगा, उसे उस स्थान पर छोड़कर संतुष्ट है, जहां कि वह है।.....कब्जाधारी और कब्जे की विषय-वस्तु का संबंध ऐसा हो जो कि इसके उपयोग की गुंजाइश रखे है जैसा कि वस्तु की प्रकृति और उस व्यक्ति के उस वस्तु के प्रति दावे के अनुरूप हो।''

कब्जे का अर्जन (Acquisition of Possession)

कब्जे का अर्जन तब पूर्ण होता है जब कब्जे का गठन करने वाले दोनों तत्व एकीभूत हो जाते हैं, अर्थात् जब कब्जाधारी का पदार्थ से भौतिक संबंध (Corpus) और उसका आशय (Animus) संयुक्तः एकीकृत हो जाते हैं तब कब्जे का अर्जन होना माना जाता है। विधि के अंतर्गत निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में कब्जे का अर्जन किया जा सकता है :

(1) अभिग्रहण के द्वारा (प्राप्त करना);

(2) परिदान के द्वारा (प्रदान करना); तथा

(3) विधि के प्रवर्तन द्वारा।

यह भी महत्वपूर्ण है कि कब्जा जब एक बार प्रारंभ हो जाता है तब वह निरंतर कायम रहेगा भले ही उसका एक तत्व अथवा दोनों तत्व बाद में लुप्त हो जाएं। पुनः यह भी कि कब्जे का जिस प्रकार अर्जन होता है ठीक उसी प्रकार उसका समापन भी किया जा सकता है अर्थात् किसी व्यक्ति के द्वारा उसे अभिग्रहीत कर लेने पर या उसे किसी व्यक्ति को परिदान कर देने पर अथवा फिर विधि के किसी प्रवर्तन पर, अन्यथा कब्जा निरंतर कायम नहीं रहेगा।

कब्जा के प्रकार (Kinds of Possession)

कब्जे की प्रकृति एवं विस्तार के अनुसार कब्जा निम्न प्रकार का हो सकता है–

(1) **व्यवहित और अव्यवहित कब्जा** (Mediate and Immediate Possession)- इसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कब्जा भी कहते हैं। **सामंड** के अनुसार, 'दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा धारण किया गया हुआ कब्जा (जैसे अभिकरण) व्यवहित कब्जा (या अप्रत्यक्ष कब्जा) कहा जा सकता है, जबकि वह कब्जा जो प्रत्यक्षतः या वैयक्तिक रूप से अर्जित किया जाता है या धारण किया जाता है, उसे अव्यवहित (या प्रत्यक्ष कब्जा) कहा जा सकता है।

अतः प्रत्यक्ष कब्जा के संबंध में कहीं भी कोई भी मतभेद नहीं है किंतु अप्रत्यक्ष कब्जा के बारे में सामंड ने ही तीन निम्नलिखित उदाहण दिए हैं–

(i) अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से अर्जित कब्जा (मध्यवर्ती कब्जा)।

(ii) उधार ली गई वस्तु पर कब्जा।

(iii) ऋण की अदायगी में प्रतिभूत संपत्ति पर कब्जा।

सामंड के इस सिद्धांत एवं वर्गीकरण को भारत सहित अनेक विधि प्रणालियों में स्वीकार किया गया है। यह विभेद कब्जा के प्रथम तत्व 'पदार्थ पर कब्जा' के आधार पर किया गया है।

(2) मूर्त और अमूर्त कब्जा (Corporeal and Incorporeal Possession)- कब्जे का यह विभाजन कब्जा के द्वितीय मूल तत्व 'आशय' पर भी आधारित माना जा सकता है। मूर्त कब्जा का तात्पर्य किसी व्यक्ति और किसी भौतिक पदार्थ के बीच किसी प्रकार का जारी संबंध होता है। यह तथ्य का संबंध हो सकता है, अधिकार का नहीं। अमूर्त कब्जे का तात्पर्य किसी वस्तु के दावे के जारी प्रयोग से है। वस्तुतः मूर्त कब्जा किसी वस्तु का कब्जा होता है और अमूर्त कब्जा किसी अधिकार का कब्जा होता है। इस स्थिति को सामंड ने निम्न रूपेण अभिव्यक्त किया है :

''दावाकृत वस्तु या तो किसी भौतिक पदार्थ का अनन्य उपभोग हो सकता है, (जैसे मार्गाधिकार) अथवा कोई हित या लाभ हो सकता है, जो भौतिक पदार्थों के उपभोग से असंबंधित हो (जैसे कोई ट्रेडमार्क, पेटेंट या लाभ का कोई पद)''।

इस विभेद को अधिक व्यवहारिक नहीं माना गया है। इहरिंग का मानना है कि ''किसी अधिकार के प्रयोग में कब्जे के दोनों ही तत्व विद्यमान होते हैं''।

कब्जा और स्वामित्व में अंतर्संबंध

चूंकि स्वामित्व कब्जे की एक सजातीय संकल्पना है। इसलिए ये दोनों ही एक-दूसरे के लिए अन्योन्याश्रित हैं। **सामंड** के अनुसार, ''कब्जा तथ्यों की गारंटी है और स्वामित्व विधि की गारंटी है। यदि संभव हो सके तो दोनों प्रकार की गारंटी रखना अच्छा है और वास्तव में वे सामान्यतः सह-अस्तित्व वाले होते हैं''।

सामान्यतः स्वामित्व और कब्जा दोनों एकीभूत होते हैं और उनका पृथक्करण विशेष कारणों से ही होता है फिर भी स्वामित्व का अधिकार श्रेष्ठ होता है।

कब्जा पर निर्णीत महत्वपूर्ण वाद

(1) **आर. बनाम चिजर्स** (1678) T.R. 275–इस प्राचीनतम वाद में एक व्यक्ति 'क' एक कपड़े की दुकान में गया और देखने के लिए कपड़ा लिया, किंतु वह कपड़ा लेकर भाग गया।

निर्णीत हुआ कि वह कपड़ा अभी भी दुकानदार के कब्जे में था और 'क' उसे चुराने के अपराध का दोषी होगा।

(2) **एंकोना बनाम रोजर्स** (1871) 1 XD 285–'ए' को 'बी' के घर में अपना सामान रखने की अनुमति दी गई थी। 'ए' ने अपना सामान किसी तीसरे व्यक्ति के मार्फत भेजा था, जो सामान कमरे में रखकर उसमें ताला बंद करके उसकी कुंजी अपने साथ ले गया।

निर्णीत हुआ कि 'ए' का उक्त कमरे पर कब्जा था।

(3) **कार्टराईट बनाम ग्रीन (1808) 7 R.R. 99**– इस मामले में एक बढ़ई को एक दराजवाली मेज मरम्मत के लिए दी गई थी। मेज की एक गुप्त दराज में कुछ धन था जिसको उसने अपने पास रख लिया।

न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि उस धन पर उसे पाने के समय तक बढ़ई का कब्जा नहीं था। उस पर वास्तविक स्वामी का ही कब्जा था। अतः बढ़ई चोरी के अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया।

(4) **मेरी बनाम ग्रीन (1841) 7 M. & W. 623**– इस वाद में एक व्यक्ति ने दराजवाली एक मेज खरीदी जिसके दराज में धन था, जिसका उसने विनियोग कर लिया।

निर्णीत हुआ कि उसका कब्जा केवल मेज पर परिदत्त किया गया था न कि उसके दराज में रखे धन पर। अतः वह चोरी के अपराध के लिए दंडित किया गया।

(5) **ब्रिजेज बनाम हॉक्सवर्थ (1851) 21 LJQB 75** - इस प्रकरण में प्रतिवादी की दुकान पर एक ग्राहक का एक पॉकेट बुक छूट गया था, जो वादी को मिला था। उसने उसे प्रतिवादी को यह कहते हुए दे दिया कि वह उसके वास्तविक स्वामी को, जब उसका पता चले, लौटा दे।

कब्जा संबंधी विवाद में न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि वास्तविक कब्जा वादी का ही माना जाएगा न कि प्रतिवादी दुकानदार का।

एक बैंक नोट के संबंध में ऐसे ही एक प्रकरण **आर. बनाम मूर (1861) L & C 1** के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया।

(6) **हन्नाह बनाम पील (1945) K.B. 509** के मामले में एक सैनिक को एक ऐसे मकान में ठहराया गया था, जिसे मकान के तात्कालिक मालिक ने किसी अन्य से खरीदा था, किंतु उसने कभी भी उस मकान में प्रवेश नहीं किया था। मकान की साफ-

सफाई करते हुए सैनिक को एक खिड़की के फ्रेम के सिरे पर से एक रत्नजड़ित पिन (ब्रोच) प्राप्त हुआ। मकान मालिक ने उसे सैनिक से लेकर अन्य व्यक्ति को बेच दिया।

मामला न्यायालय में पहुंचने पर निर्णीत हुआ कि सैनिक मकान मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार था, क्योंकि 'रत्नजड़ित पिन' पर सैनिक का ही पूर्ववर्ती कब्जा था। बाद में निर्णय की आलोचना की गई।

(7) **हिब्बर्ट बनाम मेकिर्नर (1948) 1 All. E.R. 860** – इस मामले में गोल्फ मैदान पर पड़े हुए कुछ गोल्फ बॉल्स किसी अन्य व्यक्तियों को मिले थे जो उस गोल्फ क्लब के सदस्य नहीं थे। निर्णीत किया गया कि गोल्फ बॉल्स पर क्लब के सदस्यों का ही कब्जा था, अन्यों का नहीं।

(8) **रि, कोहेन (1953) Ch. 88** के मामले में पत्नी के स्वामित्व वाले मकान में कोहेन और उसकी पत्नी रहते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद मकान में काफी गुप्त धन प्राप्त हुआ, जिसे पत्नी की संपदा माना गया।

प्रश्नकोश

Q. ''कब्जा दो तत्वों से बनता है- (अ) कब्जाधीन वस्तु (प्रभावकारी नियंत्रण) एवं (ब) आधिपत्य का आशय (स्वामी के रूप में धारण करने का आशय)।'' उपर्युक्त कथन किस विधि शास्त्री का है?

A. **सैविनी** का।

Q. किस विधिशास्त्री ने ''कब्जे की दो संकल्पनाओं अर्थात् तथ्यत: कब्जा और विधित: कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यत: कब्जा और तथ्यत: कब्जा को स्वीकार किया''?

A. **सामंड** ने।

Q. कब्जे की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण तत्व अभिरक्षा है, जिसका क्या अर्थ है?

A. कब्जा धारण करने वाले का अन्यों के द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आशय।

Q. कब्जे के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं?

A. **सैविनी, सामंड और पोलाक**।

Q. कब्जा का आवश्यक तत्व क्या है?

A. (i) कब्जाधीन वस्तु; और
(ii) आधिपत्य का आशय।

Q. जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तात्कालिक कब्जा अंतरिती के पास ही रहे तब कब्जे के आन्वयिक परिदान की यह स्थिति क्या कहलाती है?

A. **कांस्टीट्यूम पजेजोरियम**।

Q. सामंड के अनुसार विधिक कब्जा क्या है?

A. **यथार्थत: और तथ्यत: कब्जा**।

Q. कब्जे का मुख्य वर्गीकरण क्या है?

A. 1. तथ्यत: कब्जा और विधित: कब्जा।
2. तात्कालिक कब्जा एवं मध्यवर्ती कब्जा।
3. मूर्त कब्जा एवं अमूर्त कब्जा।

Q. अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा किस प्रकार के कब्जे का उदाहरण है?

A. **व्यवहित कब्जा**।

Q. कब्जा के मूर्त और अमूर्त प्रकार का वर्गीकरण किस विधिशास्त्री ने किया है?

A. **सामंड** ने।

Q. ''जब हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं कि उसका कब्जा है, तो हम प्रत्यक्षत: इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग से समस्त तथ्य सत्य हैं और हम अप्रत्यक्षत: या विवक्षित रूप से यह बताते हैं कि विधि उसे स्थिति का लाभ प्रदान करेगी।'' कब्जे की यह व्याख्या किसने दी है?

A. **होम्स** ने।

Q. कब्जा अर्जित करने के मुख्य तरीके क्या हैं?

A. 1. विधि के प्रवर्तन द्वारा।
2. परिदान द्वारा।
3. अभिग्रहण द्वारा।

Q. 'तथ्यत: कब्जा' के संबंध में क्या कथन सत्य (पूछे गए प्रश्नानुसार) हैं?

A. यह कि तथ्यत: कब्जा उसी स्थिति में संभव होता है जब किसी व्यक्ति का वस्तु पर तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है।

Q. 'A' द्वारा अपने स्वामित्व के माल को 'B' की अनुमति से 'B' के मकान के कमरों में रखा गया था। कमरों पर 'A' के अभिकर्ता के द्वारा ताला बंद किया गया, जिसमें चाबियों को 'A' की अनुमति से 'A' के पति 'H' को दे दिया गया। कमरे का कब्जा किसके पास था?

A. **'H' के पास**।

Q. कब्जे से संबंधित मुख्य निर्णीत वाद बताइए?

A. 1. मैरी बनाम ग्रीन 2. एंकोना बनाम रोजर्स
3. आर. बनाम मूर 4. हिब्बर्ट बनाम मेकिर्नर
5. ब्रिजेज बनाम हॉक्सवर्थ 6. टावर्स एंड क. लि. बनाम ग्रे

Q. किसी अन्य की संपत्ति पर (राज्य की संपत्ति पर नहीं) प्रतिकूल कब्जा कितने वर्ष तक जारी रहने पर स्वामित्व प्रदान कर देता है?

A. **12 वर्ष**।

Q. भारत में कौन-सा अधिनियम कब्जे की रक्षा करता है?

A. 1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (की धारा 145)।
2. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (की धारा 5, 6, 7, 8)।

Q. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए–

सूची-I (कथन)	**सूची-II (कब्जे का प्रकार)**
A. मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है।	1. अव्यवहित
B. क्रेता दुकानदार से पुस्तकें खरीदता है।	2. व्यवहित
C. स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी	3. अमूर्त
D. लेखक की अपनी पुस्तक पर प्रतिलिप्याधिकार	4. मूर्त

A. A-2, B-1, C-4, D-3।

स्वामित्व (Ownership)

स्वामित्व को कब्जे की सजातीय संकल्पना माना जाता है। जब किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है, तो सामान्यतया उस व्यक्ति को उस वस्तु का स्वामी माना जाता है और स्वामी होने की यही अवधारणा 'विशेषण' रूप में स्वामित्व कहलाती है। अतः स्वामित्व, संपत्ति से उत्पन्न होने वाला सर्वोत्कृष्ट अधिकार है।

हॉलैंड ने कब्जा और स्वामित्व के सम्मिलन से उद्‌भूत संकल्पना को निम्न रूप में अभिव्यक्त किया है :

''साम्पत्तिक अधिकार अपने निम्नतम रूप में एक कब्जा का अधिकार है और अपने सर्वोच्च रूप में यह एक स्वामित्व का अधिकार है।'' (**एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस**)।

होम्स के अनुसार, 'एक स्वामी को सभी को बहिष्कृत करने की अनुमति है और वह किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है' **डेनबर्ग** के अनुसार, स्वामित्व का अधिकार मूर्त वस्तुओं पर सामान्य प्रभुत्व का अधिकार है।

रोमन विधि में स्वामित्व की अवधारणा को 'डोमिनियम' अर्थात् किसी वस्तु के संबंध में अबाधित और आत्यंतिक अधिकार तथा 'पजेशियो' अर्थात् वस्तु पर भौतिक नियंत्रण के रूप में अवधारित किया गया।

प्राचीन हिंदू विधि में भी 'स्वामित्व' की संकल्पना विद्यमान थी। विधिज्ञ मनु एवं याज्ञवल्क्य ने भी संपत्ति की विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि स्थावर संपत्तियों पर 20 वर्ष और जंगम संपत्ति पर 10 वर्ष तक प्रतिकूल कब्जा चिरभोग के आधार पर हक (अधिकार-स्वामित्व) प्रदान कर देता है।

आंग्ल विधि में भी यद्यपि कब्जा (सीसिन-Seisin) एवं स्वामित्व की धारणा 13वीं शताब्दी के पूर्व अस्तित्व में थी किंतु स्वामी और स्वामित्व शब्द का ज्ञात प्रयोग क्रमशः 1340 ई. और 1583 ई. में ही देखने को मिलता है। प्रारंभ में भूमि पर कब्जे के अधिकार (सीसिन) और कब्जा रखने के एक श्रेष्ठ अधिकार के रूप में हक की कल्पना 'ट्रोवर' अर्थात् अपनी संपत्ति की प्राप्ति के लिए वाद तथा धारणाधिकार (निरोध) की अवधारणा के फलस्वरूप स्वामित्व की संकल्पना विकसित हुई। तत्पश्चात् अनेक विधिशास्त्रियों

ने स्वामित्व को अलग-अलग रूपों में परिभाषित किया।

सारतः स्वामित्व की संकल्पना के संबंध में चार मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं–

1. स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति और स्वामित्व की विषय-वस्तु के बीच होता है।

2. स्वामित्व व्यक्ति और उसमें निहित अधिकार के बीच का संबंध है।

3. स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है।

4. स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था है।

1 व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध वाली संकल्पना

इस संकल्पना के मुख्य प्रतिपादक ऑस्टिन, हॉलैंड, हिबर्ट और मार्कबी आदि हैं। **ऑस्टिन** के अनुसार, ''स्वामित्व का तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो वस्तु में अनिश्चित प्रकृति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने वाली विधि के अधीन है''। पूर्ण स्वामित्व की परिभाषा करते हुए ऑस्टिन ने कहा है कि ''स्वामित्व किसी नियत वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से असीम, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित होता है''।

सारतः ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व के तीन मुख्य तत्व होते हैं–

(i) यह उपयोग की दृष्टि से असीम (अनिश्चित) होता है। अर्थात् भूस्वामी अपनी भूमि का कोई भी उपयोग (मकान निर्माण, कृषि कार्य, व्यापार इत्यादि) कर सकता है।

(ii) यह व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित होता है। अर्थात् उस पर कोई सीमाएं नहीं होती हैं। भूस्वामी अपनी भूमि का विक्रय, दान, वसीयत या अन्य तरीके से अपनी इच्छानुसार व्ययन कर सकता है।

(iii) यह अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। अर्थात् संपत्ति में स्वामित्व शाश्वत होता है और एक स्वामी की मृत्यु के पश्चात् वह उसके उत्तराधिकारियों को चली जाती है।

उपर्युक्त के अलावा ऑस्टिन ने स्वामित्व की परिभाषा को पूर्णता प्रदान करते हुए यह भी जोड़ा है कि संपत्ति के उपर्युक्त अधिकार विशिष्ट विधिक विनियमन और किसी तृतीय पक्ष के मान्य विशिष्ट अधिकार, यदि कोई हों, के अधीन हैं। अर्थात् इन दोनों परिस्थितियों में स्वामित्व पर सीमाएं अधिरोपित की जा सकती हैं। वस्तुतः इस परिभाषा के बाद 'स्वामित्व' की परिभाषा में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए ऑस्टिन की परिभाषा की बहुत सीमित ही आलोचना हुई है और अधिकांशतः इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी विधिशास्त्रियों ने स्वीकार किया है।

ऑस्टिन के मत का समर्थन करते हुए हॉलैंड ने स्वामित्व की परिभाषा इस रूप में दी है कि ''स्वामित्व एक विषय-वस्तु पर समग्र नियंत्रण है।'' हॉलैंड के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में एक स्वामी की निम्न तीन शक्तियां होती हैं, जो स्वामित्व का गठन करती हैं–

(i) कब्जा अर्थात् कब्जा धारण करने की शक्ति,

(ii) उपभोग अर्थात् विषय-वस्तु का उपभोग करने की शक्ति, तथा

(iii) व्ययन अर्थात् संपत्ति में परिवर्तन, समाप्त करना या अंतरण करना।

इस प्रकार हॉलैंड की परिभाषा ऑस्टिन की परिभाषा के काफी समकक्ष है। दूसरी तरफ हिब्बर्ट ने स्वामित्व में चार प्रकार के अधिकारों को सम्मिलित माना है–

(i) किसी वस्तु के उपयोग का अधिकार,

(ii) दूसरों को उस वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार,

(iii) उस वस्तु के व्ययन का अधिकार,

(iv) उस वस्तु को विनष्ट करने का अधिकार।

इसी प्रकार **पैटन** ने भी स्वामित्व के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को सम्मिलित माना है–

(i) उपभोग का अधिकार,

(ii) कब्जा का अधिकार,

(iii) जीवित व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार या प्रतिभूति के तौर पर उसे भार के अधीन बनाने का अधिकार,

(iv) शेष को इच्छा-पत्र के द्वारा छोड़ देने का अधिकार।

सारतः स्वामित्व का यह सिद्धांत संपत्ति के व्यक्ति के साथ संबंध पर ही केंद्रित है और इस रूप में ऑस्टिन का मत प्रमुख मत है।

2. व्यक्ति और अधिकार के संबंध वाली परिभाषा

इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक सामंड, ड्यूगिट, कुक, फिट जेराल्ड, कोकोरेक आदि विद्वान हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति के वस्तु से संबंध के अतिरिक्त उसके संपत्ति संबंधी अन्य अधिकारों को भी शामिल किया। अर्थात् मूर्त अधिकारों के साथ अमूर्त अधिकारों को भी स्वामित्व की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। अतः सामंड ने ऑस्टिन की परिभाषा का थोड़ा परिमार्जन करते हुए कहा कि ''स्वामित्व, सर्वाधिक व्यापक अर्थ में, एक व्यक्ति और किन्हीं अधिकारों के, जो उसमें निहित हैं, बीच संबंध को लक्षित करता है। इस अर्थ में, जिस बात का कोई मनुष्य स्वामित्व रखता है वह सभी मामलों में एक अधिकार है। इस विस्तृत अर्थ में स्वामित्व का विस्तार अधिकारों के समस्त वर्गों तक होता है, चाहे वे साम्पत्तिक हों, या वैयक्तिक, चाहे सर्वबंधी हों या व्यक्तिबंधी हों या स्वसंपत्ति में हो या अन्य संपत्ति में, और यह न केवल कठोर अर्थों में अधिकारों पर ही लागू होता है अपितु स्वतंत्रताओं, शक्तियों और उन्मुक्तियों पर भी लागू होता है''।

सामंड ने माना है कि स्वामित्व अमूर्त होता है और किसी भौतिक पदार्थ के स्वामित्व की बात आलंकारिक रूप में की जाती है तथा.....वक्रोक्ति के रूप में अधिकार को उस पदार्थ के रूप में मान लेते हैं जो अधिकार का विषय है। अतः सामंड ने स्पष्ट कहा कि स्वामित्व एक व्यक्ति और एक अधिकार के बीच एक संबंध (मात्र) है। प्रतिलिप्याधिकार और मार्गाधिकार सामंड के अनुसार स्वामित्व के मुख्य दृष्टांत हैं।

हालांकि कुक और स्वयं सामंड के संपादक विलियम्स ने सामंड की परिभाषा की सीमित आलोचना की है कि यह प्रायः भ्रम पैदा करता है, किंतु ये केवल निर्वचन पर आधारित है।

ड्यूगिट का भी मानना है कि ''स्वामित्व एक व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच एक संबंध है जिसके द्वारा उसके उपयोग और उपभोग और व्ययन की शक्ति प्राप्त होती है।'' कुक के अनुसार, ''स्वामित्व अधिकारों के समूह (अधिकारों, विशेषाधिकारों, शक्तियों और उन्मुक्तियों) का नाम है, जो अत्यंत विस्तृत और अनिश्चित संख्या वाले लोगों के विरुद्ध उपलब्ध है''।

पी.जे. फिट्जेराल्ड ने स्वामित्व की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्वामित्व एक व्यक्ति और उसके स्वामित्व की विषय-वस्तु निर्मित करने वाले लक्ष्य या पदार्थ के बीच संबंध लक्षित करता है, जिसके निम्न पांच लक्षण होते हैं–

1. स्वामी का स्वत्वाधीन वस्तु पर कब्जे का अधिकार,
2. स्वत्वाधीन वस्तु के प्रयोग और उपभोग का अधिकार,
3. वस्तु को उपभुक्त करने, समाप्त करने और अंतरित करने का अधिकार,
4. स्वामित्व का अनिश्चितकाल तक बना रहना; तथा
5. स्वामित्व की अवशिष्ट प्रकृति।

इस प्रकार अंततः इस सिद्धांत का भी मत ऑस्टिन के सिद्धांत के काफी सन्निकट पहुंच जाता है।

(3) अधिकारों के समुच्चय वाली परिभाषाएं-

इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक प्रो. होहफेल्ड, पोलाक और पाउंड आदि हैं। **होहफेल्ड** के अनुसार, ''स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी प्रकार एक समुच्चय है जिस तरह बाल्टी में रखा गया पानी अलग-अलग बूंदों का संग्रह होता है। अर्थात् स्वामित्व अधिकारों, विशेषाधिकारों और शक्तियों का एक संग्रह है जिसमें से प्रायः कुछ शक्तियां सीमित अवधि या शाश्वत रूप से स्वामी से इतर व्यक्ति में निहित मानी जाती हैं।'' इसी प्रकार **पोलाक** ने माना है कि ''स्वामित्व विधि द्वारा अनुमत उपयोग एवं व्ययन की शक्तियों की संपूर्णता है।.....स्वामित्व का अधिकार अवशिष्ट अधिकार है जो एक व्यक्ति में निहित होता है, जबकि उस वस्तु से संबंधित अन्य अधिकार दूसरों के पास हो सकते हैं। जैसे किरायेदारी एवं मार्गाधिकार''।

4. लोक विधि की संस्था के रूप में स्वामित्व

इस विचारधारा के मुख्य समर्थक ऑस्ट्रिया के रेनर हैं। अतः इसे **'रेनर का सिद्धांत'** भी कहा जाता है। इन्होंने स्वामित्व की अवधारणा को अपनी मार्क्सवादी (आधुनिक) विचारधारा पर केंद्रित किया है। रेनर का मानना है कि स्वामित्व लोक विधि की संस्था बन चुका है। औद्योगिक प्रगति, सामाजिक एवं व्यापारिक

परिवर्तन एवं आवश्यकताएं, सेवा की संविदाएं तथा विक्रय, उधार प्रणाली, किरायेदारी, भाटक इत्यादि तत्वों को मानवीय गतिविधियों में शामिल करते हुए रेनर ने यह बताने का प्रयास किया है कि स्वामित्व की अवधारणा उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तनशील है।

रेनर ने स्पष्ट किया कि 'मध्यकालीन युग में स्वामित्व मनुष्य और वस्तुओं के बीच संबंध में निहित था। औद्योगिक क्रांति के बाद यह एक मनुष्य और वस्तुओं के एक संश्लिष्ट समुच्चय, जिसे पूंजी कहा जाता है, के बीच का संबंध हो गया और आधुनिक काल में पूंजी के स्वामित्व का अर्थ वस्तुतः मनुष्यों (श्रमिकों आदि) की शक्ति पर होता है। यद्यपि विधिक सिद्धांत में अभी भी एक व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच संबंध माना जाता है।....आधुनिक काल में स्वामित्व को विधि की एक शाखा माना जाना चाहिए, और राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। साम्यवादी देशों में स्वामित्व लोक विधि का एक अंग हो गया है'।

वस्तुतः रेनर ने स्वामित्व की कोई सटीक परिभाषा देने के बजाय स्वामित्व की वस्तुस्थिति का वर्णन किया और इसे साम्यवादी संकल्पना के रंगों में डालने का प्रयास किया है। अतः विधिशास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से ऑस्टिन, सामंड, पोलाक आदि की स्वामित्व संबंधी अवधारणाएं ही अधिक प्रचलित हैं, जिन्हें सारांशित रूप में निम्नवत अभिव्यक्त किया जा सकता है–

(i) स्वामित्व की संपत्ति के कब्जे का अधिकार,
(ii) संपत्ति के उपभोग का अधिकार (विधि द्वारा नियत तरीके से),
(iii) संपत्ति का व्ययन करने की शक्ति।

5. स्वामित्व के संबंध में मेन की अवधारणा—इंग्लैंड में विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के संस्थापक सर हेनरी-मेन ने स्वामित्व के संबंध में सामुदायिक स्वामित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सामुदायिक स्वामित्व के तत्व, मेन के अनुसार, सर्बिया, ऑस्ट्रिया और क्रोशिया में विद्यमान थे। मेन ने यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वामित्व को समूह हित से पृथक करते हुए प्रतिपादित किया, जो भारतीय ग्राम्य समुदायों और कतिपय स्थानीय रूढ़ियों के अध्ययन पर आधारित था। (एंशिएंट लॉ)।

वस्तुतः वर्तमान समय में स्वामित्व एक व्यक्तिगत संस्था न रहकर सामाजिक या लोकविधि संस्था का रूप ग्रहण कर चुका है, जिनमें व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का उपभोग इस तरह किए जाने की अनुमति है, जो दूसरों के हितों से असंगत न हो क्योंकि स्वामित्व संपत्ति के स्वामी और समाज के अन्य व्यक्तियों के बीच संबंधों का निर्धारण करता है और यह सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक नीति को प्रतिबिंबित करता है। अतः इन निष्कर्षों का समावेश विभिन्न देशों की न केवल संविधियों अपितु संविधानों में भी किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31-क एवं 31 ख, 39 (ख) एवं 39 (ग) के अलावा अनेक अधिनियम इसके प्रमाण हैं।

स्वामित्व का वर्गीकरण-

स्वामित्व संबंधी वस्तु की प्रकृति और उसमें निहित अधिकारों की प्रकृति के आधार पर स्वामित्व का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है :

1. मूर्त एवं अमूर्त स्वामित्व (Corporeal and incorporeal ownership)
2. निहित और समाश्रित स्वामित्व (Vested and Contigent ownership)
3. पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व (Absolute and Limited ownership)
4. एकल तथा सह-स्वामित्व (Sole and Co-ownership)
5. विधिक तथा साम्यिक स्वामित्व (Legal and Equitable ownership)
6. न्यास तथा हितप्रद स्वामित्व (Trust and Beneficial ownership)

1. **मूत और अमूर्त स्वामित्व**–जब स्वामित्व की विषय-वस्तु कोई भौतिक पदार्थ (भूमि, भवन इत्यादि) विद्यमान है, तो उसे मूर्त स्वामित्व कहा जाता है और जब वह विषय-वस्तु कोई अधिकार (प्रतिलिप्याधिकार, मार्गाधिकार, पेटेंट इत्यादि) है, तो उसे अमूर्त स्वामित्व कहा जाता है। सामंड ने स्वामित्व को इसी रूप में एक को संकुचित अर्थ में तथा दूसरे को व्यापक रूप में विभाजित किया है।

2. **निहित और समाश्रित स्वामित्व**–कोई स्वामित्व उस समय निहित स्वामित्व माना जाता है जब कि स्वामी का उस वस्तु पर हक पूर्ण हो जाता है और जब तक वह हक अपूर्ण रहता है, उसे समाश्रित स्वामित्व कहा जाता है। समाश्रित स्वामित्व किसी शर्त या भावी घटना के घटित होने पर ही पूर्ण होता है। भारत में **संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882** की **धाराएं 19** एवं **21** निहित हित एवं समाश्रित हित का अच्छा दृष्टांत है।

3. **पूर्ण स्वामित्व एवं सीमित स्वामित्व**-जब किसी व्यक्ति में स्वामित्व के समस्त अधिकार (अर्थात् कब्जा, उपभोग, व्ययन) बिना किसी निर्बंधन के (सिवाय विधि द्वारा नियत) निहित हो जाते हैं, तो उसे पूर्ण अथवा अबाधित स्वामित्व कहते हैं और जब स्वामित्व के अधिकारों पर उपभोग, व्ययन या अवधि की कोई सीमाएं होती हैं, तो उसे सीमित स्वामित्व कहा जाता है। जैसे शाश्वत काल का अधिकार एवं आजीवन संपदा। भारत में 1956 के पूर्व नारी संपदा को केवल एक सीमित स्वामित्व माना जाता था, जिसे **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** के द्वारा अब पूर्ण स्वामित्व मान लिया गया है।

4. **एकल और सह-स्वामित्व**–जब कोई स्वामित्व केवल एक व्यक्ति में निहित होता है, तो उसे एकल स्वामित्व कहा जाता है और जब स्वामित्व अनेक व्यक्तियों में निहित होता है, तो उसे सह-स्वामित्व कहते हैं। भारत में सहदायिकी की अवधारणा, भागीदारी, संयुक्त अभिधारी (आंग्ल विधि) इत्यादि सह-स्वामित्व के उदाहरण हैं।

5. **विधिक तथा साम्यिक स्वामित्व**–यह प्रभेद मुख्यतः आंग्ल विधि में विकसित हुआ, जहां कॉमन लॉ द्वारा मान्य स्वामित्व को विधिक अधिकार माना गया और साम्या न्यायालयों के द्वारा मान्य स्वामित्व को साम्यिक स्वामित्व माना गया, जो आज भी विद्यमान है। यह दोहरे स्वामित्व का भी एक प्रकार है। एक संपत्ति का एक ही समय पर एक व्यक्ति विधिक स्वामी तथा दूसरा उसका साम्यिक स्वामी हो सकता है। जैसे 'क' अपनी संपत्ति को 'ख' जो अजन्मा शिशु है, में न्यस्त करते हुए 'ग' को उसका संरक्षक नियुक्त करता है। यहां जब तक 'ख' जन्म नहीं लेता है, 'ग' का स्वामित्व विधिक है और 'ख' का स्वामित्व साम्यिक।

6. **न्यास तथा हितप्रद स्वामित्व**–यह वर्गीकरण 'न्यास' की अवधारणा पर किया गया है। **न्यास अधिनियम, 1882** की **धारा 3** में इसका पूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। जब कोई न्यास सृष्ट किया जाता है, तो न्यासी का स्वामित्व न्यास स्वामित्व कहलाता है और हिताधिकारी (जिसके लिए न्यास सृष्ट है) का स्वामित्व हितप्रद स्वामित्व कहलाता है। यह भी दोहरे स्वामित्व का एक दृष्टांत है।

स्वामित्व का अर्जन (Acquisition of Ownership)– प्राचीन हिंदू विधि, रोमन विधि एवं आंग्ल विधि में स्वामित्व के अर्जन के अनेक तरीके बताए गए हैं, जिनका अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में आज भी विद्यमान है, किंतु वर्तमान आधुनिक युग में स्वामित्व की संकल्पना का जो विस्तार हुआ है, उसके अनुसार यही माना जा सकता है कि विधि जिन तरीकों से स्वामित्व के अर्जन को मान्यता देती है, वही स्वामित्व के अर्जन के मान्य तरीके हैं। इस रूप में स्वामित्व के अर्जन का निम्न तरीका हो सकता है–

1. अर्जन द्वारा,
2. दाय/उत्तराधिकार द्वारा,
3. क्रय या दान द्वारा,
4. प्रतिकूल कब्जा द्वारा,
5. विधि के प्रवर्तन द्वारा।

प्रश्नकोश

Q. यह कथन किस विधिशास्त्री का है कि 'स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है, जो उपभोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है''?

A. **ऑस्टिन** का।

Q. ''स्वामित्व एक विषय-वस्तु पर समग्र (पूर्ण) नियंत्रण है''। यह कथन किस विधिशास्त्री का है?

A. **हॉलैंड** का।

Q. ''सभी मामलों में स्वामित्व की विषय-वस्तु एक अधिकार होता है''। यह कथन किस विधिशास्त्री का मत है?

A. **सामंड** का।

Q. ''स्वामित्व एक व्यक्ति और एक चीज जो स्वामित्व की विषय-वस्तु है के बीच के संबंध को प्रकट करता है''। किसने कहा है?

A. **जॉन सामंड** ने।

Q. ''स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय है, जिस तरह बाल्टी में रखा पानी अलग - अलग बूंदों का संग्रह है''। यह किसने कहा है?

A. **डायसी** ने।

Q. स्वामित्व के संबंध में कौन-से कथन (पूछे गए प्रश्नानुसार) सत्य हैं?

A. 1. स्वामित्व एक ऐसा संबंध है, जो व्यक्ति तथा स्वामित्व की विषय-वस्तु के मध्य होता है।
2. स्वामित्व एक व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के मध्य संबंध है।
3. स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है।
4. स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण एवं उपभोग दोनों की शक्ति होती है।
5. स्वामित्व में इच्छानुसार प्रबंध की शक्ति होती है।
6. स्वामित्व में दूसरों को विरत रखकर स्वयं कब्जा रखने की शक्ति होती है।
7. स्वामित्व लोक विधि की एक शाखा है।

Q. स्वामित्व के संबंध में क्या सत्य नहीं (पूछे गए प्रश्नानुसार) है?

A. 1. स्वामित्व में पदार्थ के भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है, किंतु उपभोग की नहीं।
2. स्वामित्व वैयक्तिक विधि की संस्था है।

Q. स्वामित्व की परिधि में कौन-से तत्व शामिल माने जाते हैं?

A. 1. कब्जे का अधिकार।
2. उपयोग एवं उपभोग का अधिकार।
3. नष्ट करने का अधिकार।
4. संपत्ति दान करने का अधिकार।
5. संपत्ति के विक्रय का अधिकार।
6. संपत्ति के अवशिष्ट उपयोग का अधिकार।

Q. स्वामित्व की परिधि में कौन-से तत्व शामिल नहीं माने जाते (पूछे गए प्रश्नानुसार) हैं?

A. 1. केवल अधिभोग का अधिकार।
2. कब्जे से हटने का अधिकार।

Q. स्वामित्व के सही वर्गीकरण (पूछे गए प्रश्नानुसार) क्या हैं?

A. 1. मूर्त और अमूर्त स्वामित्व।
2. न्यास और लाभप्रद स्वामित्व।
3. पूर्ण (अबाधित) और सीमित स्वामित्व।

Q. यदि किसी आवश्यक तत्व के कारण विहितकारी तथ्य अभी अपूर्ण है परंतु भविष्य में पूर्ण होने योग्य है, तो इसे स्वामित्व का कौन-सा प्रकार माना जाएगा?

A. **समाश्रित स्वामित्व**।

Q. स्वामित्व के संदर्भ में सर हेनरीमेन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया?

A. **सामुदायिक स्वामित्व का सिद्धांत**।

Q. किसी खोई हुई वस्तु पर उसे पाने वाले का, उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को छोड़कर संपूर्ण विश्व के विरुद्ध अधिकार होता है। यह सिद्धांत किस वाद में स्थापित किया गया?

A. **ब्रिजेज बनाम हॉक्सवर्थ**।

Q. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्वामित्व के साथ तीन आवश्यक अधिकार होते हैं–
(i) कब्जे का अधिकार,
(ii) उपभोग का अधिकार एवं
(iii) व्ययन का अधिकार।

A. **के. नैयर बनाम कोशी अलेक्जेंडर**।

Q. संपत्ति की संकल्पना से जुड़े मुख्य सिद्धांत कौन-से हैं?

A. 1. प्राकृतिक या नैसर्गिक सिद्धांत।
2. श्रम का सिद्धांत।
3. तत्वमीमांसीय सिद्धांत।
4. राज्य की शक्ति का सिद्धांत।
5. मनोवैज्ञानिक सिद्धांत।
6. क्रियात्मक सिद्धांत।
7. ऐतिहासिक सिद्धांत।

अध्याय 5 : विधि एवं विधिशास्त्र की महत्वपूर्ण कृतियां

	विधिशास्त्री		कृतियां
1.	अफलातून (प्लेटो)	:	दी रिपब्लिक।
2.	अरस्तू	:	पॉलिटिक्स।
3.	ऑस्टिन	:	लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस।
		:	ए प्ली फॉर दी कांस्टिट्यूशन।
4.	इहरिंग, रुडोल्फ वान	:	लॉ ऐज मीन्स टु ऐन एंड।
5.	ऐलन	:	लॉ इन दी मेकिंग।
		:	लीगल ड्यूटीज।
		:	लॉ एंड ऑर्डर।
		:	व्यूरोक्रेसी ट्राम्फेन्ट।
6.	इहरलिच	:	फंडामेंटल प्रिंसिपुल्स ऑफ दी सोसियोलॉजी ऑफ लॉ।
7.	कार्ट (डा.)	:	लॉ-इट्स ओरिजन, ग्रोथ एंड फंक्शन।
8.	कार्डोज	:	दी ग्रोथ ऑफ लॉ।
9.	काण्ट	:	फिलासफी ऑफ लॉ।
10.	कीटन	:	एलीमेंट्री प्रिंसिपुल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
11.	केलसन हेन्स	:	जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट।
		:	लॉ ए सैंचुरी ऑफ प्रोग्रेस।
12.	कोक्यूरक	:	जूरल रिलेशंस।
		:	एन इंट्रोडक्शन टू दी साइंस ऑफ लॉ।
13.	कोक, सर एडवर्ड	:	रिपोर्ट्स।
14.	कोर्कनोव	:	जनरल थ्योरी ऑफ लॉ।
15.	सर कोहलर	:	फिलासफी ऑफ लॉ।
16.	गार्नर	:	इंट्रोडक्शन टु पॉलिटिकल साइंस।
17.	गुडहार्ट (डा.)	:	एसेज इन जूरिस्प्रूडेंस एंड दी कॉमन लॉ।
		:	प्रिसिडेंट्स इन इंगलिश एंड कांटिनेंटल लॉ।
18.	गीयर्क	:	पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ दी मिडिल एजेज।
		:	नेचुरल लॉ एंड दी थ्योरी ऑफ सोसाइटी।
19.	ग्रीन	:	प्रिंसिपुल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन।
20.	ग्रे	:	नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ।
21.	ग्रोशिसय	:	डी जुरे बेली ऐक पेसिस।
22.	जेथ्रोब्राउन, डब्ल्यू.	:	दी ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ।
		:	प्रिंसिपुल्स ऑफ मॉर्डन लेजिस्लेशन।
		:	दी बुक ऑफ इंगलिश लॉ।
23.	जैमिनी	:	मीमांसा।
24.	झा, गंगानाथ	:	हिंदू लॉ ऑफ दी कांस्टिट्यूशन।
		:	लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड।
25.	ड्यूगिट	:	लॉ इन दी मॉडर्न स्टेट।
26.	थॉमस एक्विनास	:	सुम्मा थियोलोजिया।
27.	रॉस्को पाउंड	:	इंटरप्रेटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री।
		:	फिलासफी ऑफ लॉ।
		:	लॉ एंड मोरल्स।
28.	पुच्ता	:	आउटलाइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
29.	पैटन	:	ए टैक्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।

विधिशास्त्री	कृतियां
30. पोलाक	: दी फर्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
	: एसेज इन जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स।
	: एसेज इन लॉ।
	: टॉर्ट्स।
31. पोलाक एंड मेटलैंड	: हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लॉ।
32. पोलाक एंड राइट	: पजेशन इन दी कॉमन लॉ।
33. बर्कलैंड	: रिफ्लेक्शंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
34. ब्लैकस्टोन	: कमेंट्रीज।
35. बेंथम	: थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन।
	: दी लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड।
36. मार्कबी	: एलीमेंट्स ऑफ लॉ।
37. मॉन्टेस्क्यू	: दी स्प्रिट ऑफ लॉज।
38. मैटलैंड	: कांस्ट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड।
39. मैन	: हिंदू लॉ एंड यूसेज।
40. मेन, एच.एस.	: अर्ली लॉ एंड कस्टम।
	: एंशीएंट लॉ।
	: अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टिट्यूशंस।
	: विलेज कम्युनिटीज।
41. मैक्सवैल	: इंटरप्रेटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स।
42. मैथ्यू हेल	: हिस्ट्री ऑफ दी कॉमन लॉ।
43. राइट (लॉर्ड)	: दी फ्यूचर ऑफ कॉमन लॉ।
44. रेनर, कार्ल	: दी इंस्टिट्यूशंस ऑफ प्राइवेट लॉ-देयर सोशल फंक्शंस।
45. लॉक	: ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट।
	: एसे कंसर्निंग हैयूमन अंडर-स्टैंडिंग।

विधिशास्त्री	कृतियां
46. लास्की, हेरोल्ड	: ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स।
	: मॉडर्न थ्योरी ऑफ लॉ।
47. ली	: हिस्टॉरिकल जूरिस्प्रूडेंस।
48. लेवलिन	: ऑन रीडिंग एंड यूजिंग दी न्यूअर जूरिस्प्रूडेंस।
49. विनोग्रेडोफ	: हिस्टॉरिकल जूरिस्प्रूडेंस।
	: कॉमन सेंस इन लॉ।
50. स्टेम्मलर	: थ्योरी ऑफ जस्टिस।
51. स्टोन, जूलियस	: प्रॉविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ।
52. सामंड	: जूरिस्प्रूडेंस।
53. सेविग्नी	: वाम वेरुफ।
	: डास रेच्टडेस वेस्टेज।
	: दी लॉ ऑफ पजेशन।
	: दी हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेज।
	: दी सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ।
54. ह्यू बर्ट (लॉर्ड)	: न्यू डेसपाटिज्म।
55. हॉब्स	: डी साइव।
	: लेवियाथन।
	: एलिमेंटिए फिलासफिए।
	: वर्क्स।
56. हॉलैंड	: एलीमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
57. होहफेल्ड, डब्ल्यू.एन.	: फंडामेंटल लीगल कन्सेप्शन।
58. हीगेल	: फिलासफी ऑफ राइट।
59. होम्स, ओ. डब्ल्यू.	: कलेक्टेड पेपर्स।
	: दी कॉमन लॉ।
60. होल्ड्सवर्थ	: हिस्ट्री ऑफ इंगलिश लॉ।